इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक- 29.03.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लाठी डंडो से हमला कर तोड फोड, जान से मारने की धमकी देने एव युवती से छेडखानी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी द्वारा 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 7,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते लाठी डंडो से हमला कर तोड फोड, जान से मारने की धमकी देने एव युवती से छेडखानी करने वाले अभियुक्त वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी द्वारा 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 7,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.08.2018 को वादी मुन्नी लाल कुशवाहा पुत्र बैजनाथ कुशवाह निवासी पुराना नहर पुल पार लखना, बकेवर, इटावा ने थाना बकेवर पर अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर लाठी डंडो से हमला करना, तोड फोड कर जान से मारने की धमकी देना एवं अभियुक्त दीपक ठाकुर द्वारा वादी की बहन से जबरदस्ती छेडखानी करना के संबंध मे तहरीर दी । तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 528/18 धारा 147/148/352/354/506/427 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 उमेश कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम पैरोकार हे0का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त दीपक ठाकुर को **आज दिनांक 29.03.2024 को अन्तर्गत धारा 352/506/427 भादवि व धारा 8 पोक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय श्रीमान ASJ/स्पे0 जज पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 7,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **दीपक ठाकुर पुत्र सुनील सिंह नि0 पुराना नहर पुल पार बकेवर थाना बकेवर इटावा।**